

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 614 सन 2020

अनवान :-

1. सुभाष पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री रामकुमार अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 28.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा जवरासर के खाता संख्या 148/145 की कुल 10.1170 हैक्ठूम भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम रामकिशन पुत्र रामप्रताप दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम सुभाष पुत्र रामप्रताप है सहवन रो राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम सुभाष पुत्र रामप्रताप है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम सुभाष पुत्र रामप्रताप दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामकिशन पुत्र रामप्रताप दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर रामकिशन पुत्र रामप्रताप के स्थान पर सुभाष पुत्र रामप्रताप संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोर्ट में पेश होने पर वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा जवरासर के खाता संख्या 148/145 की कुल 10.1170 हैक्ठूम भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम रामकिशन पुत्र रामप्रताप दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम सुभाष पुत्र रामप्रताप है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम सुभाष पुत्र रामप्रताप है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम सुभाष पुत्र रामप्रताप दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामकिशन पुत्र रामप्रताप दर्ज किया गया है जो गलत है।

उपखण्ड अधिकारी

व. 1

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी, खाद दीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 148/145 की कुल 10.1170 हेक्टर भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी का नाम रामकिशन पुत्र रामप्रताप दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सुभाष पुत्र रामप्रताप के स्थान पर रामकिशन पुत्र रामप्रताप दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम सुभाष पुत्र रामप्रताप दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम सुभाष पुत्र रामप्रताप होना प्रतीत होता है।


सरपंच ग्राम पंचायत जबरासर एवं अभियान/कैम्प में उपस्थित मौजिज व्यक्तियों के द्वारा भी वादी के नाम की तस्दीकी की गई है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नौहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र/पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साधित होने के कारण कबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं सरपंच ग्राम पंचायत /पैरोकार राज /मजमें आम की तस्दीक के आधार पर वाद वादी साधित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 148/145 की कुल 10.1170 हेक्टर में वादी का नाम रामकिशन पुत्र रामप्रताप अंकित है के स्थान पर सुभाष पुत्र रामकिशन पुत्र रामप्रताप संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। धन्य वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिराल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तस्दीक तहसील जाया दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नौहर (सुभाष नगर)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
कैम्प कोर्ट...जबरासर...

प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुधी श्वेता कोचर (आर.ए.एल)

अनवान :-

1. सुभाष पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 614 सन 2020 निर्णय दिनांक- 29.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही गौजा जदरासर के खाता संख्या 148/145 की कुल 10.1170 हैक में वादी का नाम रामकिशन पुत्र रामप्रताप अंकित है के स्थान पर सुभाष उर्फ रामकिशन पुत्र रामप्रताप संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021
कैम्प कोर्ट.....जदरासर..